

21/10/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रतिपादी सं. 1 असाहतन उपखित।
वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर
घाट-घार अवाज लगाने के बावजूद वादीगण एवं
वादीगण के अधिकार अनुपस्थित रहे। वादीगण
एवं वादीगण के अधिकार अपने द्वारा प्रस्तुत
बाद को अपने प्लाने के प्रति गम्भीर नहीं होने के
कारण वादी न वाद अफन दजरी एवं अफम पैकी में
खासिज दिया जागा है। निर्णय आज दिनांक 21/10/2022
को खर्च-व्यायव्य में सुनाया गया। पत्रावली के बाव
बुझाट दोअर बाद केस प्रणार है।

निष्पत्ति

सप जिला कलक्टर
लवाण

